

290

SIV No. 11/2024



उत्तर मध्य रेलवे

सतर्कता शाखा
VIGILANCE BRANCH
उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय
NORTH CENTRAL RAILWAY HEADQUARTER OFFICE,
सुबेदारगंज इलाहाबाद-211033
SUBEDARGNJ, ALLAHABAD-211033

दिनांक :- 31/05/2024

पत्र सं :- 20230501115/C/V1/N/OTH

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
उत्तर मध्य रेलवे
प्रयागराज

विषय:- Movement पंजिका में होने वाले संशोधन में पायी गयी अनियमितताओं के लिए "प्रणाली सुधार"।

सतर्कता दल द्वारा उपरोक्त विषय पर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले एक कार्यालय में एक कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया की कर्मचारी द्वारा मूवमेंट पंजिका में बाहरी duty के लिए दिनांक की कटिंग के साथ संशोधित दिनांक के घरे वाले स्थान पर कर्मचारी के प्रारम्भिक हस्ताक्षर बिना अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पाया गया है। कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया की सक्षम अधिकारी के संज्ञान में संशोधित दिनांक किया गया है। संशोधित दिनांक अधिकारी के हस्ताक्षर का न होना संदेहात्मक है।

अतः इस प्रकार की अनियमितता हेतु प्रणालीगत सुधार के लिए सिफारिश निम्नवत है।

"सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के समय या उपरांत यदि Movement पंजिका में कोई भी संशोधन कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो संशोधित स्थान पर पुनः सक्षम अधिकारी का "प्रारम्भिक हस्ताक्षर" होना चाहिए जिससे कि सक्षम अधिकारी के संज्ञान यह आ सके कि वह कर्मचारी उसके द्वारा अनुमोदित स्थान व निर्धारित समय में ही यात्रा कर रहा है। साथ ही TA verify करने वाले official भी Movement पंजिका में संशोधित स्थान पर पुनः सक्षम अधिकारी का "प्रारम्भिक हस्ताक्षर" पाये जाने के उपरांत ही verify करें। कर्मचारी द्वारा स्वयं से संशोधित स्थान पर किए गए "प्रारम्भिक हस्ताक्षर" मान्य नहीं होगा।"

इस प्रकार से कर्मचारी द्वारा यात्रा के उपरांत Movement पंजिका में यात्रा के पश्चात संशोधित करके यात्रा भत्ता न ले सकें। अतः उपरोक्त प्रणालीगत सुधार पर कृत कार्यवाही उपरांत इस कार्यालय को 07 दिन के अंदर अवश्य सूचित करें।

उपरोक्त "प्रणाली सुधार" हेतु वरिष्ठ उप महाप्रबंधक जी द्वारा अनुमोदित है।

Handwritten signature

(हरीश कुमार)
उप मुख्य सतर्कताधिकारी /यांत्रिक
कृते महाप्रबंधक/ सतर्कता